न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—172 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. रोमनवीर सिंह पुत्र यादविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—वादी

बनाम

1. यादविन्द्रसिंह पुत्र बन्तासिंह
2. निरेन्द्र कौर पत्नी यादविन्द्रसिंह
3. तहसीलदार ''राजस्व'' संगरिया

} जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री ओम प्रकाश शर्मा — वकील वादी
2— श्री नवरत्न स्वामी— वकील प्रति सं.1 ता 2

निर्णय दिनांक :— 16.07.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी रोमनवीरसिंह प्रतिवादी सं. एक यादविन्द्रसिंह का सगा पुत्र है, तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता सं. 86 / 2 में 0.506 है0 तथा चक नम्बर 3 के.एस.डी. खाता सं. 54 / 87 में 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड में है। नकल जमाबन्दी सलग्न दावा है। दावा के पहरा संख्या 2 मे वर्णित समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन जद्दी जायदाद है जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी घोषित कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का घरू विभाजन हो चुका है तथा मुताबिक घरू विभाजन में वादी को चक नम्बर 2 के. एस.डी. खाता सं. 86 / 2 में 0.506 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा शैष भूमि चक नं. 3 के.एस.डी. खाता सं. 54 / 87 में 1.265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास है। वादी को घरू विभाजन में मिली भूमि पर वादी की ही कब्जा काश्त है, तथा घरू विभाजन में मिली भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी पाने का वादी मुस्तहक व दावेदार है। वादी को मिली भूमि आज तक प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वादी उक्त भूमि पर किसी प्रकार से राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है इस हेतु वादी ने प्रतिवादी सं. एक से कहा कि वह वादी को जन्मजात एवं घरू विभाजन में दी गई भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार

किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी रोमन सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक की फोटो प्रति, पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 2 केएसडी खाता संख्या 2/5 जमबान्दी सम्वत 2067–2070 बन्ता सिह पि.अमर सिह की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किया गया है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 2 केएसडी खाता संख्या 2/5 जमबान्दी सम्वत 2067–2070 बन्ता सिह पि.अमर सिह की जमाबन्दी के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 2 केएसडी खाता संख्या 86/2 खाता नक्षत्रसिह वगैरा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 2 केएसडी खाता संख्या 2/5 जमबान्दी सम्वत 2067–2070 बन्ता सिह पि.अमर सिह की जमाबन्दी की प्रति पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किया है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवष्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि वादी तहसील संगरिया के चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता सं. 86/2 में 0.506 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता में वादी के नाम भूमि इन्द्राज कर प्रतिवादी संख्या 1–यादविन्द्र सिंह पुत्र बन्तासिंह का नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिग्री अलम से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–172/2019

1 रोमनवीर सिंह पुत्र यादविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1 यादविन्द्रसिंह पुत्र बन्तासिंह
2 निरेन्द्र कौर पत्नी यादविन्द्रसिंह
} जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3 तहसीलदार ''राजस्व'' संगरिया

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी तहसील संगरिया के चक नं. चक नम्बर 2 के.एस.डी. खाता सं. 86/2 में 0.506 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1–यादविन्द्र सिंह पुत्र बन्तासिंह का नाम कलमजन किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया